

यूनियन बैंक
ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम



Union Bank
of India
A Government of India Undertaking

कार्मिक लाभ प्रभाग, मानव संसाधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय
#239, यूनियन बैंक भवन, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400021

स्टाफ परिपत्र सं. 100949 -2025

01-10-2025

प्रति: सभी शाखाएं/ कार्यालय

**विषय: सेवानिवृत्त कर्मचारियों / पारिवारिक पेंशनधारकों हेतु
समूह चिकित्सा बीमा पॉलिसी (पॉलिसी वर्ष 2025-26) के नवीनीकरण के संबंध में स्पष्टीकरण**

सभी शाखाओं/कार्यालयों का ध्यान स्टाफ परिपत्र 100779-2025 दिनांक 12-09-2025 एवं 100880-2025 दिनांक 25-09-2025 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके माध्यम से - पॉलिसी वर्ष 2025-26 के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए समूह चिकित्सा बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण परिचालित किया गया है।

इस संदर्भ में, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन द्वारा पत्र संख्या HR&IR/MBR/MEDINS/2539 दिनांक 30-09-2025 के माध्यम से "सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पॉलिसी के मामले में, शारीरिक/मानसिक रूप से अक्षम आश्रित पारिवारिक सदस्यों को ऐड-ऑन के रूप में शामिल किया गया था," इस संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किया गया है कि-

• सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए समूह चिकित्सा बीमा पॉलिसी के अंतर्गत यह ऐड-ऑन सुविधा केवल शारीरिक/मानसिक रूप से अक्षम आश्रित बच्चों पर लागू होगी, बशर्ते कि आवश्यक चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएं."

स्टाफ परिपत्र संख्या 100779-2025 दिनांक 12-09-2025 एवं 100880-2025 दिनांक 25-09-2025 के अन्य सभी दिशानिर्देश और विषय-वस्तु अपरिवर्तित रहेंगी।

किसी भी प्रकार के प्रश्न के लिए, टीम के सदस्यों से निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है:

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई -

लैंडलाइन नंबर.:-

022- 22896383/ 22896255

आईपी नंबर.:-

116252/ 116253/116254/116263/116264

ईमेल आईडी:-

staffmedicclaim@unionbankofindia.bank.in

परिपत्र की विषय-वस्तु सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ध्यान में लाई जाएगी। परिपत्र को शाखाओं के नोटिस बोर्ड पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना है। सभी शाखाओं/कार्यालयों को सलाह दी जाती है कि वे अपने नोटिस बोर्ड पर इस परिपत्र के को प्रमुखता से प्रदर्शित करें। परिपत्र की प्रति "www.unionbankofindia.co.in → हमारे बारे में → मानव संसाधन → सेवानिवृत्त स्टाफ के लिए सूचना → चिकित्सा बीमा" पर भी उपलब्ध है।

(एस. सी. तेली)

मुख्य महाप्रबंधक

५५

यूनियन बैंक
ऑफ इंडिया

भारत सरकार का उपक्रम



Union Bank
of India

A Government of India Undertaking

Employee Benefits Division, Human Resources Department, Central Office

#239, Union Bank Bhavan, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai-400021

STAFF CIRCULAR NO. 100949-2025

01-10-2025

To: All Branches/ Offices

Subject: Clarification on Renewal of Group Medical Insurance Policy for Retired Employees / Family Pensioners for the Policy Year 2025-26

Attention of all branches/offices is invited to Staff Circular 100779-2025 dated 12-09-2025 and 100880-2025 date 25-09-2025 vide which - Renewal of Group Medical Insurance Policy for Retired Employees / Family Pensioners for the Policy Year 2025-26 is circulated.

In this regard, the Indian Banks' Association has issued the following clarification on "In case of Retiree policy, Physically/Mentally Challenged Dependent Family members were include by way of an add-on," vide letter HR&IR/MBR/MEDINS/2539 DATE 30-09-2025.

- This add-on facility under the group medical insurance policy for the retirees for Physically / Mentally challenged dependents would apply only to the dependent children under the category, subject to submission of required medical certificates.

All other guidelines & contents of the Staff Circular No.100779-2025 dated 12-09-2025 and 100880-2025 date 25-09-2025 remain unchanged.

For any kind of query, team members may be contacted on-

Union Bank of India, Central Office, Mumbai -

Landline Nos.:- 022- 22896383/ 22896255

IP Nos.:- 116252/ 116253/116254/116263/116264

Email id: staffmediclaim@unionbankofindia.bank.in

The contents of the circular to be brought to the notice of all Retirees. The Circular is to be prominently displayed on the notice board of the Branches. All branches/ offices are hereby advised to display of this circular on their notice boards prominently. The copy of the circular is also available on "www.unionbankofindia.co.in → About US → Human Resources → Information for Retired Staff" → Medical insurance.

(S.C. Teli)

Chief General Manager